

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 15.1.2013

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-


| क्र.सं. | वरियता संख्या | नाम अधिकारी  | आवंटित आवास संख्या                | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|---------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1       | 25/2004       | डा. ब्रज भूषण शर्मा<br>वरिष्ठ लेखाधिकारी<br>सवाईमानसिंह चिकित्सालय<br>जयपुर।   | 11/45 गांधी नगर जयपुर             | 31.7.2031           |
| 2       | 27/2008       | श्री लाल चन्द्र औझा<br>आर.ए.एस.<br>शासन उप सचिव<br>जलसंस्थान विभाग<br>शासन सचिवालय, जयपुर  | एम-6 गाँधी नगर जयपुर              | 31.8.2015           |
| 3       | 30/2010       | श्री राज पाल सिंह यादव<br>आर.ए.एस.<br>शासन उप सचिव<br>कार्मिक (ख) विभाग<br>शासन सचिवालय, जयपुर<br>(नीतिगत निर्णय)  | 11/55 ए.वी.एस. गांधी<br>नगर जयपुर | 31.7.2021           |
| 4       | 9/2011        | श्री पीयूष कुमार गुप्ता<br>अधीशाषी अभियन्ता<br>कार्यालय मुख्य अभियन्ता<br>प्रशासन एवं तकनीकी सदस्य<br>राजस्थान जल प्रदाय एवं<br>सीवरेज मण्डल जन स्वास्थ्य<br>अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर | एम-14 गाँधी नगर जयपुर             | 31.5.2018           |
| 5       | 8/2012        | श्री छोटे लाल मीण<br>अधीशाषी अभियन्ता (पी.एम.यू.<br>) आर.डब्ल्यू.आर.एस.पी. जल<br>संसाधन विभाग जयपुर  | एन-14 गाँधी नगर जयपुर             | 30.4.2028           |
| 6       | 11/2012       | श्री बाल केशवर सिंह<br>निदेशक<br>समेती (आत्मा) कृषि विभाग<br>राजस्थान जयपुर  | एन -40 गाँधी नगर<br>जयपुर         | 30.9.2013           |
| 7       | 28/2012       | श्री राजपाल सिंह चौहान<br>आर.ए.एस.<br>अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम<br>सहकारिता विभाग जयपुर<br>(नीतिगत निर्णय)   | 11/59 ए.वी.एस.<br>गाँधी नगर जयपुर | 31.1.2016           |
| 8       | 35/2012       | श्री रामफुल बैरवा<br>एडमिशन शासन सचिव<br>ग्रह (ग्रुप-1) विभाग<br>शासन सचिवालय जयपुर  | 202 मॉडल टाउन<br>मालवीय नगर जयपुर | 30.11.2016          |
| 9       | 38/2012       | श्री नरेन्द्र कुमार बंसल<br>निदेशक<br>नागरिक विमानन सामान्य<br>प्रशासन विभाग जयपुर   | 504 मॉडल टाउन<br>मालवीय नगर जयपुर | 31.7.2035           |

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1953 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवस के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाही अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या 3, 7, 8 व 9 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, राजस्थान सिविल एवीयेशन विभाग, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता जल संस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक कृषि विभाग राजस्थान जयपुर।
12. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
13. शासन उप सचिव कार्मिक क-4/2 विभाग।
14. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
15. अधिशाही अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर/जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
17. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
18. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- ✓ 19. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/ जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
21. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
22. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. अतिरिक्त निजी सचिव शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
24. रक्षित पत्रावली।



(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

15/11/2013